अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ.1185(अ).— केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, साम्बा का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

- धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:
 - 1. प्रो. मनोज धर, कुलपति, जम्म विश्वविद्यालय
- II. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य:
 - 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - पटेन सदस्य
- III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य:
 - 3. संस्थान के निदेशक

– पदेन सदस्य

- IV. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :
 - 4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
 - 5. रिक्त
- V. धारा 4 के खंड (ड़) के तहत सदस्य:
 - 6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
 - 7. मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर या उनके नामांकित व्यक्ति
 - 8. डॉ. यतीन मेहता, अध्यक्ष, मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनस्थिजियोलॉजी, गुरुग्राम, हरियाणा
 - 9. प्रो. वाई.के. गुप्ता, पूर्व-विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, दिल्ली
 - 10. रिक्त
- VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :
 - 11. डॉ. राजेश गुप्ता, प्रोफेसर, सर्जरी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़
 - 12. डॉ. अजीत सूद, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, गेस्ट्रोएंटोलॉजी विभाग, डीएमसी एवं अस्पताल, लुधियाना, पंजाब
 - 13. प्रो. उमर जावेद शाह, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, एसकेआईएमएस, सूरा, जम्मू एवं कश्मीर
 - 14. प्रो. शक्ति कुमार गुप्ता, प्रोफेसर और एमएस, एम्स, दिल्ली

VII. संसद सदस्य [धारा 4 के खंड (छ) के तहत]:

- 15. रिक्त
- 16. रिक्त
- 17. रिक्त

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

> [फा.सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV] सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 1185(E) .—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby constitutes the All India Institute of Medical Sciences, Vijaypur, Samba consisting of the following members, namely:-

I. Member under clause (a) of Section 4:

1. Prof. Manoj Dhar, Vice Chancellor, University of Jammu

II. Member under clause (b) of Section 4:

 Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India -ex -officio

III Member under clause (c) of Section 4:

3. The Director of the Institute - ex-officio

IV Member under clause (d) of Section 4:

- 4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India Representative of Ministry of Finance
- 5. Vacant

V. Member under clause (e) of Section 4:

- 6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
- 7. Chief Secretary, Jammu & Kashmir or his/her nominee
- 8. Dr. Yatin Mehta, Chairman, Medanta Institute of Critical Care and Anaesthesiology, Gurugram, Haryana
- 9. Prof. Y.K. Gupta, former HoD, Pharmacology, AIIMS Delhi
- 10. Vacant

VI. Member under clause (f) of Section 4 :

- 11. Dr. Rajesh Gupta, Professor of Surgery, PGIMER Chandigarh
- 12. Dr. Ajit Sood, Professor & Head, Department of Gastroenterology, DMC & Hospital, Ludhiana, Punjab
- 13. Prof. Omar Javed Shah, Professor & Head, Department of Surgery, SKIMS, Soura, Jammu & Kashmir
- 14. Prof. Shakti Kumar Gupta, Professor & MS, AIIMS, Delhi

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

- 15. Vacant
- 16. Vacant
- 17. Vacant

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secv.